

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/हेण्डपंप/19-20/

दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर।

विषय : हेण्डपम्प निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त करने बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक एफ 5/निर्माण/टीएडी/2020-21/8074-75 दि. 10.03.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 30866-81 दिनांक 08.08.2019 द्वारा निम्नानुसार हेण्डपम्प निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति को नियुक्त किया गया।

प्रासंगिक पत्र द्वारा स्वीकृतियों को निरस्त करने की अनुशंषा के क्रम में निम्नांकित स्थानों पर स्वीकृत हेण्डपम्प निर्माण कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किया जाता है।

(राशि लाख रु. में)

स्वीकृति में वर्णित क्र.स.	हेण्डपम्प का स्थान	ग्रा.पं.	पं.स.	राशि	कार्यकारी एजेन्सी
1	2	3	4	5	6
2	राप्रावि ककराला	जलपका	ऋषभदेव	0.77	PS
3	राईया घाटी के पास	सागवाडा	ऋषभदेव	0.77	PS
14	भगवान गागा के घर के पास कलावत	गडावत	ऋषभदेव	0.77	PS
20	आमली डुंगरी कलावत	गडावत	ऋषभदेव	0.77	PS
			योग	3.08	

उपरोक्त स्थानों पर हेण्डपम्प स्थापना हेतु कार्यकारी एजेन्सी को यदि राशि हस्तांतरित की गई हो तो अविलम्ब पुनः प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

उपरोक्त कार्य संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-18/2018-19 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि 660.00 लाख में से स्वीकृत किये गये थे।

(डॉ. वृद्धि चन्द गर्ग) R.A.S.
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/ 12107-12

दिनांक : 01/04/2021

प्रतिलिपी :-

1. जिला कलक्टर, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार/निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति ऋषभदेव जिला उदयपुर।
4. गार्ड फाईल।

10
अतिरिक्त आयुक्त